

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

प्रार्थी

नारायण लाल

विपक्षी


राज्य

किस्म मुकदमा

६६२१७७

पत्रावली संख्या 48/23

सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	<p>15/02/24 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>नारायण लाल</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>एच</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>23/05/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO मावली</p>
	<p>23/5/24 पत्रावली पेश <u>...</u> वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिवक्ता महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>27/6/24</u> को पेश हो</p>
	<p>27/5/24 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>नारायण लाल</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>नारायण</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>17/4/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>
	<p>18/9/24 कल दिनांक को अवकाश होने से कल दिनांक को पेश हुई।</p> <p>पत्रावली पेश <u>...</u> वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन अधिवक्ता महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक <u>5/11/24</u> को पेश हो</p>
	<p>05/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मध्य वादी अनुपस्थित/ अधिवक्ता मध्य वादी को आवजे दिलवाई गई। समय सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादी मध्य वादी अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मध्य वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमल शुमार लेकर नम्बर से कम हो। निर्णय को न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <div style="text-align: center;">  <p>सहायक कलेक्टर (वि.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) मावली</p> </div>